

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला(म.प्र.)

Phone: 07642-299078 Email- Secdlsamdl@mp.gov.in

पृ.क्र. 767 / LADCS / जिविसेप्रा / 2026

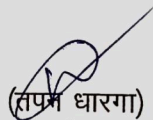
मंडला, दिनांक 6 / 1 / 2026

// सार्वजनिक सूचना //

चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल/ डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल/ असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पदों पर नवीन भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने बावत।

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की संशोधित लीगल एड डिफेंस काउंसिल मॉडिफाईड स्कीम, 2022 एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पत्र क्रमांक 2114 दिनांक 06.08.2025 द्वारा जारी एस.ओ.पी. के अनुपालन में जिला न्यायालय, मण्डला में स्थापित लीगल एड डिफेंस काउंसिल कार्यालय हेतु संविदा आधार पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल हेतु 01 पद, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल हेतु 02 पद एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल हेतु 02 पद पर नियुक्ति किये जाने हेतु कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मण्डला द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक 1054 दिनांक 18.12.2025 जारी की गई थी।

उक्त भर्ती विज्ञप्ति मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल एड डिफेंस काउंसिल की भर्ती के संबंध में पत्र क्रमांक 2114 दिनांक 06.08.2025 द्वारा जारी नवीन एस.ओ.पी. के अनुपालन में जारी की गई थी। उक्त एस.ओ.पी. को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 36687 / 2025 (रामकिशन सोनी एवं अन्य विरुद्ध यूनियन ऑफ इंडिया) एवं अन्य याचिकाओं में दिनांक 18.12.2025 को आदेश पारित कर निरस्त कर दिया गया है। साथ ही म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के पत्र क्रमांक 3969 दिनांक 26.12.2025 द्वारा दिनांक 06.08.2025 को जारी एस.ओ.पी. को निरस्त कर दिया गया है। अतः उक्त आदेश के अनुपालन में लीगल एड डिफेंस काउंसिल योजना अंतर्गत संविदा आधार पर चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल, डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल एवं असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चयन हेतु जारी विज्ञप्ति क्रमांक 1054 दिनांक 18.10.2025 निरस्त की जाती है।


(संप्रम धारणा)

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
मण्डला (म0प्र0)